भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3267
12 मार्च, 2026 को उत्तर देने के लिए

पीएमएफएमई योजना के तहत सहायता प्राप्त सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम

†3267. डॉ. भोला सिंहः

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) के तहत सहायताप्राप्त सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की राज्य-वार विशेषकर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में संख्या कितनी है;
(ख) पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाली ऋण सहायता, बुनियादी ढांचे औरबाजार लिंकेज का ब्यौरा क्या है; और
(ग) स्थानीय उद्यमियों के रोजगार सृजन और आय वृद्धि पर पीएमएफएमई योजना का क्या प्रभाव पड़ा है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क): प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना के अंतर्गत, 31 दिसंबर 2025 तक देश भर में 1,72,707 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को ऋण स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से उत्तर प्रदेश राज्य में स्वीकृत 22,060 ऋण शामिल हैं। इनमें से बुलंदशहर जिले में 83 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को ऋण स्वीकृत किए गए हैं। पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत देश में सहायता प्राप्त सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की राज्य-वार संख्या **अनुबंध-I** में दी गई है।

(ख): इस योजना के अंतर्गत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के लिए पात्र वित्तीय सहायता का विवरण **अनुबंध -II** में दिया गया है।

(ग): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) ने पीएमएफएमई योजना के प्रभाव का आकलन करने के लिए तृतीय-पक्ष मध्यावधि प्रभाव मूल्यांकन कराया है। अध्ययन में यह बात सामने आई है कि पीएमएफएमई योजना के माध्यम से प्रौद्योगिकी और वित्तीय सहायता के एकीकरण से उद्यमियों को उत्पादन क्षमता, कारोबार और व्यवसायिक विकास में वृद्धि करने में मदद मिली है, जिससे आय सृजन, बाजार पहुंच/लिंकेज और वोकल फॉर लोकल का प्रचार-प्रसार हुआ है। पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत 31 दिसंबर 2025 तक 5,18,121 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित किए गए हैं।

*****

अनुबंध-I

दिनांक 12.03.2026 को उत्तर हेतु "पीएमएफएमई योजना के तहत सहायता प्राप्त सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम" के संबंध में लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 3267 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

31 दिसंबर 2025 तक पीएमएफएमई योजना के तहत सहायता प्राप्त सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की संख्या

क्र. सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	स्वीकृत ऋण (संख्या)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	18
2	आंध्र प्रदेश	8651
3	अरुणाचल प्रदेश	149
4	असम	5194
5	बिहार	28648
6	चंडीगढ़	5
7	छत्तीसगढ	1442
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	12
9	दिल्ली	378
10	गोवा	141
11	गुजरात	1217
12	हरियाणा	1737
13	हिमाचल प्रदेश	2628
14	जम्मू और कश्मीर	2121
15	झारखंड	4665
16	कर्नाटक	8402
17	केरल	8478
18	लद्दाख	96
19	लक्षद्वीप	0
20	मध्य प्रदेश	13221
21	महाराष्ट्र	27360
22	मणिपुर	310
23	मेघालय	237
24	मिजोरम	67
25	नागालैंड	440
26	ओडिशा	3075
27	पुदुचेरी	203
28	पंजाब	3108
29	राजस्थान	1444
30	सिक्किम	66
31	तमिलनाडु	17869
32	तेलंगाना	7345
33	त्रिपुरा	286
34	उत्तर प्रदेश	22060
35	उत्तराखंड	1087
36	पश्चिम बंगाल	547
	कुल योग	**172707**

अनुबंध- II

दिनांक 12.03.2026 को उत्तर हेतु "पीएमएफएमई योजना के तहत सहायता प्राप्त सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों" के संबंध में लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 3267 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना के अंतर्गत उपलब्ध वित्तीय सहायता का विवरण निम्नलिखित है:

(i) *व्यक्तिगत/समूह श्रेणी के सूक्ष्म उद्यमों को सहायता:* पात्र परियोजना लागत का 35% की दर से ऋण-संबद्ध पूंजी सब्सिडी, अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये प्रति इकाई;

(ii). *प्रारंभिक पूंजी के लिए एसएचजी को सहायता :* खाद्य प्रसंस्करण में लगे स्वयं सहायता समूह के प्रत्येक सदस्य को कार्यशील पूंजी और छोटे औजारों की खरीद के लिए 40,000 रुपये की दर से प्रारंभिक पूंजी दी जाएगी, जो प्रति स्वयं सहायता समूह संघ अधिकतम 4 लाख रुपये तक सीमित होगी।

(iii) *साझा अवसंरचना के लिए सहायता:* एफपीओ, एसएचजी , सहकारी समितियों और किसी भी सरकारी एजेंसी को साझा अवसंरचना स्थापित करने के लिए 35% की दर से 3 करोड़ रुपये की अधिकतम सीमा तक ऋण-संबद्ध पूंजी सब्सिडी प्रदान की जाएगी। साझा अवसंरचना की पर्याप्त मात्रा का उपयोग अन्य इकाइयों और आम जनता द्वारा किराये के आधार पर भी किया जा सकेगा।

(iv) *ब्रांडिंग और मार्केटिंग सहायता :* एफपीओ /एसएचजी /सहकारी समितियों या सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के विशेष प्रयोजन वाहन के समूहों को ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए 50% तक का अनुदान।

(v) *क्षमता निर्माण:* इस योजना में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और उत्पाद-विशिष्ट कौशल विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संशोधित उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) के लिए प्रशिक्षण की परिकल्पना की गई है।

*****